

सं.22011/1/2011-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन एवं पैशनभोगी कल्याण मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011

दिनांक- 23 अप्रैल, 2015

कार्यालय जापन

विषय: मॉडल कैलेण्डर के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन समय से और अग्रिम तौर पर करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति हेतु समयबद्ध रीति से अग्रिम तौर पर अनुमोदित चयन पैनल तैयार रखने के लिए इस विभाग ने दिनांक 28.01.2015 के का.जा. सं. 22011/4/2013-स्था.(घ) के द्वारा यथासंशोधित दिनांक 8 सितम्बर, 1998 के का.जा. सं. 22011/9/98-स्था.(घ) के माध्यम से विभागीय पदोन्नति समितियों हेतु एक मॉडल कैलेण्डर जारी किया है। पूर्ववर्ती/पश्चवर्ती विभागीय पदोन्नति समिति संबंधी कार्रवाइयों में शामिल विभिन्न कार्यक्रमों हेतु मॉडल कैलेण्डर में एक सांकेतिक प्रतिरूप (इंडिकेटिव पैटर्न) का प्रावधान किया गया है। इस विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन करने हेतु यह कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैनल समय पर तैयार कर लिया जाए और इसका उपयोग रिक्ति वर्ष के दौरान रिक्तियों के उद्धृत होते ही किया जाए।

2. मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि कि विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की बैठकों का आयोजन समय पर नहीं किया जा रहा है। पदोन्नति में होने वाला विलंब कार्यबल के नियोजन को प्रभावित करता है और कर्मचारियों के कैरियर प्रगति में अवरोध उत्पन्न करता है। विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन में होने वाले विलंब से दिनांक 28.01.2015 के का.जा. सं. 22011/4/2013-स्था.(घ) के द्वारा यथासंशोधित दिनांक 8 सितम्बर, 1998 के का.जा. सं. 22011/9/98-स्था.(घ) के द्वारा विभागीय पदोन्नति समितियों हेतु जारी किए गए मॉडल कैलेण्डर का वास्तिवक प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है।

3. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कर्मचारियों के समय से पदोन्नति देने का उद्देश्य उन्हें समय से पदोन्नति देकर ही प्राप्त किया जा सकता है।

4. अतः सभी मंत्रालयों/विभागों को एक बार पुनः सलाह दी जाती है कि समय से विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें बुलाने/निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुमोदित चयन पैनलों को तैयार करने के अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।



(स्स. क. प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23040340

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
8. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
9. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत सभी संबद्ध कार्यालय।
11. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
12. स्थापना (घ) अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (10 प्रतियां)
13. एनआईसी को वेबसाइट पर अद्यतन के लिए



(एस. के. प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23040340